कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)
दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/STSF/2020/165 भोपाल,दिनांक 08/02/2020

प्रति,

1.समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2.समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3.समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विकास निगम
4.समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश

विषय :- **वन्यप्राणी अपराध की रोकथाम में भारत सरकार के वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो को सहायता प्रदान करने विषयक।**

संदर्भ :- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 06/WCCB/CR/372 Dt. 10-01-2020.**

उपरोक्त संदर्भित विषयांर्तगत लेख है कि भारत सरकार के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। जिसका उद्देश्य वन अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसकी एक क्षेत्रीय इकाई जबलपुर में है जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जबलपुर का पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उनके यहा बल की कमी है तथा निवेदन किया गया है कि वन्यप्राणी अपराध संबंधी सूचना मिलने पर संयुक्त कार्यवाही हेतु स्थानीय वनअमले के द्वारा सहायता प्रदान की जावे।

अतः वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश के किसी वनक्षेत्र/वनमण्डल में वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण के संबंध में सहयोग की मांग की जाती है तो इस कार्य को प्राथमिकता से लेते हुए वन्यप्राणी अपराध को रोकने एवं पता लगाने में तत्काल सहायता आप लोगों के द्वारा प्रदान की जावें एवं नियमानुसार वन्यप्राणी अपराध संबंधी प्रकरण पंजीबद्व किया जावें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

8/2/2020
(राजेश श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.

पृ.क्रमांक/STSF/2020/166 भोपाल, दिनांक 08/02/2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त निदेशक वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भीकाजीकामा प्लेस नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपनिदेशक क्षेत्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया वन्यप्राणी अपराध संबंधी कार्यवाही में संबंधित वनमण्डलाधिकारियों को यथासंभव पूर्व से ही दूरभाष पर सूचित करें तथा कार्यवाही में आवश्यक वन अमले को साथ रखे ताकि प्रकरण दर्ज करते समय उन्हें भी घटना के संबंध में जानकारी हो ताकि प्रकरण की अग्रिम विवेचना सटिक हो सकें व न्यायालय में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जा सकें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.

d:\stsf-2020\letter-2020.docx